

वडोदरा मंडल – राजभाषा विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1) (बी) के संदर्भ में जानकारी

उपधारा	मांगी गई जानकारी	टिप्पणी
4 (1) (बी) (i)	उसके संगठन के विवरणों, कार्यों और कर्तव्यों को;	राजभाषा विभाग का कार्य भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार रेलवे बोर्ड तथा गृह मंत्रालय, रा.भा विभाग द्वारा प्रदान किए गए आदेशों का अनुपालन करवाना, राजभाषा नीति का कार्यान्वयन, राजभाषा के वार्षिक कार्यक्रमों के विभिन्न मदों को सभी विभागों के समन्वय से लागू करवाना एवं राजभाषा के प्रयोग-प्रसार के लिए प्रेरणा एवं प्रोत्साहन हेतु राजभाषा पुरस्कार योजनाएं लागू करवाना व कर्मचारियों की सहायताार्थ हिंदी कार्यशालाएं आयोजित कराना । मंडल पर गठित 07 स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समितियों, 01 मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें समय पर आयोजित करवाना, 10 हिंदी पुस्तकालयों का संचालन, हिंदी दिवस/हिंदी सप्ताह/राजभाषा पखवाड़े का आयोजन कराना । मंडल राजभाषा संगठन चार्ट के लिए “अनुलग्नक - I” देखें।
4 (1) (बी)(ii)	उसके अधिकारीगण की शक्तियों और कर्तव्यों को;	राजभाषा अधिकारियों के कर्तव्य:- राजभाषा अधिकारी द्वारा अपने मंडल क्षेत्राधिकार में भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु कार्य किया जाता है। उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनके मंडल/क्षेत्र के विभिन्न स्टेशनों पर सभी प्रकार के पत्राचार/हिंदी-अंग्रेजी पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिये जाएं । इसके लिए गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम तथा विभिन्न नियमों और अधिनियम का अनुपालन करवाते हैं; साथ ही यह सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न सूचनाएं नोटिस बोर्ड पर द्विभाषी रूप से प्रदर्शित की गई हैं। राजभाषा अधिकारी द्वारा विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा प्रगति और पुस्तकालयों के निरीक्षण भी किए जाते हैं। राजभाषा कर्मचारियों के कर्तव्य:- राजभाषा अनुभाग के सभी कर्मचारियों को राजभाषा नीति-नियमों से संबंधित कार्यों के लिए स्वयं को पूरी तरह तैयार करना होगा तथा संबंधित कर्तव्यों के निष्पादन के लिए रेलवे बोर्ड और गृह मंत्रालय गृह मंत्रालय, रा.भा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न आदेशों/प्रोत्साहन योजनाओं, पुस्तकों और परिपत्रों में निर्धारित प्रासंगिक नियमों और कार्यक्रमों से परिचित रहकर अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को अवगत कराना । समय-समय पर मंडल के प्रशासनिक नियंत्रक अधिकारी द्वारा निर्धारित राजभाषा प्रगति संबंधी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कार्य करना ।
4 (1) (बी)(iii)	निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें सम्मिलित है पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम को;	कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित राजभाषा अधिनियम/ राजभाषा नियम 1976 और गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्य किया जाता है । सामान्य प्रक्रियात्मक निर्देश भी समय-समय पर दोहराए/जारी किए जाते हैं । कोड और मैनुअल के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें:-
4 (1) (बी)(iv)	उसके द्वारा उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बनाए गए सन्नियमों को;	https://rajbhasha.gov.in/
4 (1) (बी)(v)	उसके कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए उसके द्वारा धारित या उसके	नियम, निर्देश, अधिनियम आदि पूर्व से ही प्रकाशित हैं और रेलवे कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग में हैं। निर्देशों/नीति के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:-

	नियंत्रणाधीन या उसके कर्मचारीगणद्वारा नियमों, विनियमों, अनुदेशों, निर्देशिकाओं और अभिलेखों को;	https://rajbhasha.gov.in/
4 (1) (बी)(vi)	दस्तावेजों, जो उसके द्वारा धारित हैं या उसके नियंत्रणाधीन हैं, के प्रवर्गों के विवरण को;	रेलवे बोर्ड नीति परिपत्र, बोर्ड और अन्य विभागों के महत्वपूर्ण पत्र, जेपीओ, समझौते आदि के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:- https://indianrailways.gov.in/ https://rajbhasha.gov.in/
4 (1) (बी)(vii)	किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति निर्धारित करने या उसके क्रियान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यगण के साथ सलाह करने के लिए या उसके द्वारा अभ्यावेदन करने के लिए विद्यमान हैं, को;	राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाती हैं। ये समितियाँ, 1 मंडल, नगर 1 और 7 स्टेशन स्तर पर गठित हैं। मंडल और स्टेशन स्तर पर प्रति वर्ष में 04 (प्रत्येक तिमाही में एक) और नगर स्तर पर वर्ष में 02 (प्रत्येक छःमाही में एक) बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार राजभाषा के प्रयोग-प्रसार और गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम की समीक्षा की जाती है।
4 (1) (बी)(viii)	मंडलों, परिषदों, समितियों और दो या अधिक व्यक्तियों को मिलाकर गठित, अन्य निकायों, इसके भाग के रूप में गठित या इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए, और इस बाबत कि क्या उन मंडलों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की सभाएं, जनता के लिए खुली हुई है या ऐसी सभा के कार्यवृत्त जनता के लिए पहुंच योग्य है, के विवरण को;	राजभाषा विभाग से संबंधित नहीं है।
4 (1) (बी)(ix)	उसके अधिकारीगण और कर्मचारीगण के नामों की पुस्तिका को;	संलग्नक – 1 में
4 (1) (बी)(x)	उसके प्रत्येक अधिकारीगण और कर्मचारीगण द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें सम्मिलित है, उसके विनियमों, में यथा उपबंध प्रतिकर प्रणाली को;	वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों के निर्दिष्ट ग्रेड का निर्णय लिया जाता है। यह मद वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग से संबंधित है।
4 (1) (बी)(xi)	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर प्रतिवेदन की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए, उसके प्रत्येक अभिकरण को आवंटित	राजभाषा विभाग से संबंधित नहीं है।

	किए गए बजट को;	
4 (1) (बी)(xii)	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशियाँ और ऐसे कार्यक्रमों के हितग्राहियों के ब्योरे सम्मिलित हैं, को;	राजभाषा विभाग से संबंधित नहीं है।
4 (1) (बी)(xiii)	उसके द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञाओं या प्राधिकारों के प्राप्तकर्तागण की विशिष्टियों को;	राजभाषा विभाग से संबंधित नहीं है।
4 (1) (बी)(xiv)	उसको उपलब्ध या उसके द्वारा धारित सूचना, जिसे इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखा गया है, के बारे में ब्योरों को;	राजभाषा विभाग से संबंधित नहीं है।
4 (1) (बी)(xv)	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सूचनाओं की विशिष्टियों को, जिसके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचनालय, जो सार्वजनिक उपयोग के लिए रखे जाते हैं, के कार्यालयीन समय सम्मिलित हैं को;	राजभाषा विभाग से संबंधित नहीं है। पुस्तकालय मूलतः रेलवे के उपयोग के लिए है।
4 (1) (बी)(xvi)	लोक सूचना, अधिकारीगण के नामों, पदनामों, और अन्य विशिष्टियों को;	श्री सतीश वलवी, जनसूचना अधिकारी एवं राजभाषा अधिकारी hindioff@brc.railnet.gov.in फोन: 44013
4 (1) (बी)(xvii)	ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए को;	राजभाषा विभाग से संबंधित नहीं है।

राजभाषा विभाग - वडोदरा मंडल (पश्चिम रेलवे)

संगठन चार्ट



अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं
अपर मंडल रेल प्रबंधक



राजभाषा अधिकारी



क्र.सं.	अधिकारी का नाम	फोन
1	अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक	44002
2	राजभाषा अधिकारी	44013
3	वरिष्ठ अनुवादक	44014